

प्ररूप-दस
FORM-X
(नियम 10 (3) देखिये)
[See rule 10(3)]

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र CERTIFICATE OF REGISTRATION

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) की
धारा 32 के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद्
Madhya Pradesh State Veterinary Council established under Section 32
of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984)



संख्याक/ No. MPSVC/ 2707/2010

तारीख/ Date : 01 NOV 2010

यह प्रमाणित किया जाता है कि डाक्टर गिर्राज शाक्य
निवासी मोरैना (मध्य प्रदेश) रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी के रूप
में सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किये गये हैं और वे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984
(1984 का सं. 52) के अधीन ऐसे व्यवसायियों को प्रदान किए गए समस्त विशेषाधिकारों के हकदार
हैं। उक्त अधिनियम के अधीन यह रजिस्ट्रीकरण मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में
किया गया है।

इसके साक्ष्य स्वरूप मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की मुद्रा लगा दी गई है और उक्त राज्य परिषद् के रजिस्ट्रार ने
हस्ताक्षर कर दिये हैं।

This is to certify that Dr. GIRRAJ SHAKYA
Resident of MORENA (MADHYA PRADESH)
has been duly registered as a Registered Veterinary Practitioner and is entitled to all the privileges granted to such
practitioner's under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984).
This registration has been effected with the Madhya Pradesh State Veterinary Council, under the said Act.

In witness where of are herewith affixed the seal of the Madhya Pradesh State
Veterinary Council and Signature of the Registrar of the said State Council.



[Signature]
रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर/ Signature of Registrar

(यह प्रमाण-पत्र भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) के अधीन स्थापित की
गई मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की संपत्ति है और वर्णित रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा संबंधी व्यवसायी को
मध्यप्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 1993 के नियम 10(3) के अधीन जारी किया जाता है।)

(This certificate is the property of the Madhya Pradesh State Veterinary Council, established under the Indian
Veterinary Council Act, 1984, (No. 52 of 1984) and is issued to the Registered Veterinary practitioner mentioned above
under rule 10(3) of the Madhya Pradesh State Veterinary Council rules, 1993.)